



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2025/98

दर्ज तिथि:-21.03.2025

1. दुर्गराम पुत्र देदाराम
2. केकू पत्नी भगवानाराम
3. गोरखाराम पुत्र भगवानाराम
4. छगनाराम पुत्र भगवानाराम
5. नेमाराम पुत्र भगवानाराम
6. मगाराम पुत्र भगवानाराम
7. हडूमानराम पुत्र भगवानाराम
8. केशाराम पुत्र भाखाराम
9. देदाराम पुत्र भाखाराम
10. मूलाराम पुत्र भाखाराम
11. लिखमाराम पुत्र भाखाराम
12. रगूदेवी पत्नी भाखाराम
13. वरीगाराम पुत्र देदाराम
14. दुर्गराम दत्तक पुत्र पदमाराम
15. टीकमाराम पुत्र चौखाराम
16. भीखाराम पुत्र तुलछाराम
17. चुकीदेवी पत्नी पन्नाराम

जाति मेघवाल निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर, मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. सहायक अभियंता सा0नि0वि0 उपखण्ड गुडामालानी जिला बाड़मेर
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर
3. भाजनलाल विश्नोई एए ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग, निवास महावीर नगर बाड़मेर
4. तहसीलदार, नोखड़ा जिला बाड़मेर

..... प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री हरीराम विश्नोई

प्रतिवादीगण:-एकतरफा



-:निर्णय:-

निर्णय तिथि:-04.08.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृत्तान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि पर रहवास बनी हुई है तथा चारो तरफ पुरानी माठ बनी हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के सेढा-सेढ नया कुआं रोड़ से अम्बेडकर नगर जाने वाला एक कट्टाण मार्ग आया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 बिना नाप के कट्टाण मार्ग से हटकर वादी की खातेदारी आराजी में सड़क निर्माण कार्य कर कब्जा करने पर आमादा हैं। प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा वादी के कब्जा काश्त की भूमि को कट्टाण मार्ग की भूमि बताकर अवैध कब्जा करना चाहते हैं तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी। इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद विधिवत तामिल उपस्थित न्यायालय नहीं हुए। इस कारण प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तत्पश्चात् पत्रावली वादी साक्ष्य में रखी गई।

3. वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गए:-

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्बन्त
1.	खाता संख्या 09 जमाबंदी वाके ग्राम अम्बेडकर नगर तहसील नोखड़ा	अंतिम चौसाला आधार सम्वत 2075-78
2.	नक्शा खसरा संख्या 101 मौजा अम्बेडकर नगर	वर्तमान

4. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गए:-

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी.डब्ल्यू-1	दुर्गाराम पुत्र देदाराम जाति मेघवाल	गोलिया गर्वा तहसील गुड़ामालानी

पी.डब्ल्यू-2	भीखाराम पुत्र तुलसाराम जाति मेघवाल	गोलिया गर्वा तहसील गुड़ामालानी
--------------	------------------------------------	--------------------------------

5. प्रकरण में वादी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादी की विवादित आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादवर्णित अनुतोष मुताबिक स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।
6. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में मुख्य अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार है:-

188. Injunction against wrongful ejection—

(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.

(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-

(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;

(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;

(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.

(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा-188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई है:-

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।
8. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैं:-

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने	

	वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेंगे। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल संभावना प्रतीत होती है।

9. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर

वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। साथ ही सार्वजनिक कट्टाण रास्ते पर सड़क निर्माण हेतु प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सड़क निर्माण कार्य कट्टाण मार्ग पर ही करवाना उचित प्रतीत होता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 की धारा-188 की उपधारा-2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण अनुतोष प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी मौके पर चालू कट्टाण रास्ते पर सड़क निर्माण करने तथा राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार तरमीम करने हेतु स्वतंत्र हैं।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)

सहायक कलक्टर

गुढामालानी-बाड़मेर



न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुडामालानी-बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी -केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्या:-2025 / 98

दर्ज तिथि:-21.03.2025

1. दुर्गराम पुत्र देदाराम
2. केकू पत्नी भगवानाराम
3. गोरखाराम पुत्र भगवानाराम
4. छगनाराम पुत्र भगवानाराम
5. नेमाराम पुत्र भगवानाराम
6. मगाराम पुत्र भगवानाराम
7. हड्डमानराम पुत्र भगवानाराम
8. केशाराम पुत्र भाखाराम
9. देदाराम पुत्र भाखाराम
10. मूलाराम पुत्र भाखाराम
11. लिखमाराम पुत्र भाखाराम
12. रगूदेवी पत्नी भाखाराम
13. वरीगाराम पुत्र देदाराम
14. दुर्गराम दत्तक पुत्र पदमाराम
15. टीकमाराम पुत्र चौखाराम
16. भीखाराम पुत्र तुलछाराम

जाति मेघवाल निवासी गोलिया गर्वा तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

17. चुकीदेवी पत्नी पन्नाराम

जाति मेघवाल निवासी अम्बेडकर नगर, मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर

.....वादीगण

बनाम

1. सहायक अभियंता सा0नि0वि0 उपखण्ड गुडामालानी जिला बाड़मेर
2. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग बाड़मेर
3. भाजनलाल विश्नोई एए ठेकेदार सार्वजनिक निर्माण विभाग, निवास महावीर नगर बाड़मेर
4. तहसीलदार, नोखड़ा जिला बाड़मेर

..... प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता

वादी:-श्री हरीराम विश्नोई

-:पर्चा डिक्री:-

वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 101/2.3472 है0 मौजा अम्बेडकर नगर पटवार हल्का मंगले की बेरी तहसील नोखड़ा जिला बाड़मेर पर विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात् फसल बोने-जोतने, काटने, लाने-ले जाने में रुकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाकर डिक्री किया जाता है। प्रतिवादी मौके पर चालू कट्टाण रास्ते पर सड़क निर्माण करने तथा राजस्व रिकॉर्ड में नियमानुसार तरमीम करने हेतु स्वतंत्र हैं।

यह डिक्री आज दिनांक 04.08.2025 को लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी-बाड़मेर